Email

CWJC No.- 5409/2016 धीरज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक– 12.04.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक– 31.08.2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न।

सर्वप्रथम रेलवे के मुख्य अभियंता, निर्माण द्वारा बताया गया कि दरभंगा से लहेरियासराय के बीच 05 कि०मी० लम्बाई में रेलवे का दोहरीकरण प्रस्तावित है। इसलिए सम्पूर्ण लम्बाई में पक्के नाले का निर्माण आवश्यक है। दोहरीकरण हेतु पूरे लम्बाई में सर्वप्रथम मिट्टी भराई का कार्य होगा, जिसके कारण नाला का Flow बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नाले को Divert करना होगा।

नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम द्वारा बताया गया कि चूँकि रेलवे की जमीन के ठीक बाद से आवासीय कॉलोनियाँ हैं इसलिए नाला का निर्माण रेलवे की जमीन के अंतिम छोर पर होगा, जिसके लिए रेलवे से NOC प्राप्त है। रेलवे द्वारा Retaining Wall के Design पर अभी तक सहमति नहीं दी गई है।

पूरे मामले की समीक्षा, उस क्षेत्र के नक्शा के अवलोकन तथा नगर निगम और रेलवे के अभियंताओं से चर्चा के बाद निम्नांकित निर्णय लिए गए :–

1. पूरे 05 कि०मी० क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण रेलवे के अभियंताओं, नगर निगम की टीम एवं विभागीय कार्यपालक अभियंता श्री सोमेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक– 04.09.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से किया जाएगा। इसके लिए रेलवे द्वारा आवश्यकतानुसार ट्रॉली की भी व्यवस्था की जाएगी।
2. सर्वेक्षण के पश्चात् रेलवे द्वारा अपने मानकों के अनुसार पूरे क्षेत्र के लिए प्रस्तावित नाले के निर्माण हेतु Design एवं Estimate तैयार कर नगर निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निगम द्वारा उसे विभाग को भेजा जाएगा।
3. योजना का कार्यान्वयन रेलवे द्वारा ही कराए जाने का विचार किया गया। प्रधान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग का स्पष्ट अभिमत है कि रेल ट्रैक की मजबूती के लिए पक्के नाले एवं Retaining Wall की मजबूती भी रेलवे के मानकों के अनुसार होना आवश्यक है इसलिए योजना का कार्यान्वयन भी रेलवे से कराया जाना श्रेयस्कर होगा। इस क्रम में निर्माण के दौरान रेलवे को जिला प्रशासन एवं नगर निगम, दरभंगा से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। निर्माण के दौरान नाले का Flow बनाए रखने के लिए Diversion करने हेतु भी नगर निगम से सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
4. योजना के कार्यान्वयन हेतु Funding Pattern पर विभाग एवं रेलवे से राशि के संबंध में उच्च स्तरीय चर्चा के उपरांत निर्णय लेने की सहमति बनी।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

31/8/2018

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02ब०/न्या०–19–03/2017 4737 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 01/09/18

प्रतिलिपिः– मुख्य महाप्रबंधक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मुख्य अभियंता, निर्माण (उत्तर), पूर्व सेन्ट्रल रेलवे, महेन्द्रू घाट, जजेज कोर्ट रोड, पटना/वरीय डिविजनल अभियंता–1, पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर/श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर अभियंता, दरभंगा नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8/2018

सरकार के प्रधान सचिव।